राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— **42/2022**

GCMS NO. 2022/241

1. कमला पुत्री जिनका
2. मेवा देवी पुत्री जिनका
3. मोहनी पुत्री जिनका
4. चिड़िया पुत्री जिनका
5. विधा पुत्री जिनका
6. भगवानी पत्नि भोलाराम
7. सुभाष पुत्र भोलाराम
8. सुशिल पुत्र भोलाराम
9. मन्जू पुत्री भोलाराम
   जाति नाई निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

....................प्रार्थीगण

बनाम

1. मनोहर पुत्र जिनका
2. सन्तरा पत्नि जिनका
   जाति नाई निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
3. चमेली देवी पत्नि धर्मपाल
4. राजेश देवी पत्नि सुरेश कुमार
   जाति अहीर निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
5. श्रवण पुत्र सेडू
6. नरेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश
7. मुन्नी पत्नि कैलाश
8. मालाराम पुत्र नौरंग
   जाति नाई निवासी रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)
9. मनिषा पत्नि राजेश कुमार
   जाति गुर्जर निवासी गढला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
10. उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,खेतड़ी

....................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—

1. श्री ख्यालीराम सैनी — अभिभाषक — प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री अमर सिंह गूर्जर — अभिभाषक — अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 05.08.2022

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 223 के खसरा नं. 1105 रकबा 2.37 हैक्टर, खसरा नं. 982 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नं. [illegible]86 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नं. 987 रकबा 3.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

33 हैक्टर, खसरा नं. 989 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 11.76 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 व 5 लगायत 9 संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं, जिसमे प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/35–1/35 हिस्सा तथा प्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 का 1/5 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से पर बिना किसी बाधा के सभी की स्वतन्त्र जानकारी में काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 222 के खसरा नं. 985 रकबा 1.25 हैक्टर के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं. 5 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं, जिसमें प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/35–1/35 हिस्सा तथा प्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 का 1/5 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण अपने हिस्से पर बिना किसी बाधा के सभी की स्वतन्त्र जानकारी में काबिज काश्त है। खातेदार भोलाराम पुत्र जिनका व भोलाराम पुत्र गणेशा एक ही व्यक्ति है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके विधिक वारिसान प्रार्थी सं. 5 लगायत 9 हैं। वाद पत्र के खण्ड संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है, जो स्वर्गीय जिनका की पैतृक भूमि है। वाद वर्णित भूमि में स्व. जिनका का 1/5 हिस्सा था जिसके वारीसान प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 व अप्रार्थी सं. 1 व 2 है जिनका प्रत्येक का 1/35–1/35 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपने व प्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 के हकपूर्वाधिकारी स्व. भोलाराम के नाम से ही विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जबकि प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 का नाम भी विरासतन नामान्तकरण में दर्ज होना चाहिए था तथा स्व. भोलाराम तो अपने पिता के जीवनकाल में गणेशा के गोद चला गया था तथा अपने जीवनकाल में स्व. गणेशा से मिली जमीन पर ही काबिज काश्त रहा एवं भोलाराम की मृत्यु के बाद अब प्रार्थी सं. 6 लगायत 9 काबिज काश्त हैं तथा राजस्व रिकार्ड से भी यह साफ जाहिर होता है कि स्व. भोलाराम, गणेशा के हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थी सं. 1 के मन मे शुरू से ही बेईमानी थी जिसके चलते ही उसने राजस्व कर्मचारियों से साझ कर अपने स्वर्गीय पिता जिनका पुत्र मंगला का फौतगी नामान्तरण अपने व अपनी माता, स्व. भोलाराम के नाम से ही दर्ज करवा लिया जबकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रार्थी सं. 1 लगायत 5 का नाम भी फौतगी नामान्तकरण में दर्ज होना चाहिए था। अप्रार्थी सं. 1 के मन में बेईमानी है तथा जिसमें अप्रार्थी सं. 2 को अपने प्रभाव में कर रखा है तथा अप्रार्थी सं. 2 को बहका कर अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज भूमि का बेचान करने पर अमादा है जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के बारे में गत सप्ताह जमाबन्दी की नकल लेने पर पता चला तो उसने अप्रार्थी सं. 1 को रिकार्ड दुरूस्त करवाने एवं अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी सं. 1 आग बबूला हो गया तथा मरने मारने पर उतारू हो गया तथा प्रार्थीगण को धमकी दी कि मैं अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर भूमि को खुर्द बुर्द कर दूंगा तथा तुम्हे तुम्हारे हिस्से से जबरन लठ के बल पर बेदखल कर दूंगा। अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। स्वर्गीय भोलाराम अपने पिता के जीवनकाल में ही गणेशा के गोद चला गया था तथा गणेशा से उत्तराधिकार में मिली भूमि को ही काश्त करता रहा है। स्वर्गीय भोलाराम की मृत्यु के बाद उसको मिली भूमि पर स्वर्गीय भोलाराम के वारिसान प्रार्थी सं. 6 लगायत 9 शान्ति पूर्वक काबिज काश्त है। लेकिन स्वर्गीय भोलाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय जिनका से प्राप्त भूमि भी दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीगण सं. 6 लगायत 9 गणेशा से प्राप्त भूमि पर ही काबिज काश्त हैं तथा गणेशा से प्राप्त भूमि को ही अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थी सं. 1, अप्रार्थी सं. 2 को अपने प्रभाव मे लेकर अप्रार्थी सं. 2 के नाम से दर्ज भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान कर खुर्द–बुर्द कर देता है तो प्रार्थीगण को भारी कानूनी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष में है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:12 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि :

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

(क) अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम ग्राम ताल पटवार हल्का रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमा. बन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 223 के खसरा नं. 1106 रकबा 2.37 हैक्टर, खसरा नं. 982 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नं. 986 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नं. 987 रकबा 3.33 हैक्टर, खसरा नं. 989 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 11.76 हैक्टर तथा भूमि खाता सं. 222 के खसरा नं. 985 रकबा 1.25 हैक्टर के बाबत किसी प्रकार का विक्रय पत्र, रहरनामा, दान पत्र, आदि पंजीकृत नहीं करवाये तथा ना ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी देवें तथा अप्रार्थी सं. 10 व 11 को भी जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि से सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज को पेश करने पर पंजीकृत नहीं करें तथा ना ही अपने अधिनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों से करावें तथा रिकार्ड राजस्व की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 11 बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये तथा इस आशय का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि ग्राम ताल पटवार मण्डल रसुलपुर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खं. नं. 1106, 982, 986, 987, 989, कुल किता 5 कुल रकबा 11.76 हैक्टर में प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 का कोई हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि में अपना संपूर्ण हिस्सा उक्त अप्रार्थी सं. 1 ने अप्रार्थी सं. 9 को सन् 2019 में ही विक्रय कर चुका है तथा उक्त अप्रार्थी सं. 9 के नाम नाम. ान्तकरण भी दर्ज हो चुका है तथा इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने भी उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा सुनीता कुमारी पत्नी सत्यवीर जाति गूर्जर निवासी बांकोटी तहसील खेतड़ी, सुनीता पत्नी रामनिवास जाति गूर्जर निवासी रामनगर तहसील खेतड़ी, निर्मला पत्नी चन्द्रभान जाति गूर्जर निवासी रामनगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को दिनांक 06.04.2022 को विक्रय कर चुकी है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थीगण ने उक्त सदभावी केतनीगण सुनीता पत्नी रामनिवास, सुनीता पत्नी सत्यवीर ,निर्मला पत्नी चन्द्रभान को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है। इसलिये आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। भूमि ख. नं. 985 रकबा 1.25 हैक्टर में प्रार्थीगण 1 लगायत 5 कोई हिस्सा नहीं है, ना ही कब्जा काश्त है। उक्त भूमि में से अप्रार्थी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण 1/15 हिस्सा उक्त सुनीता पत्नी रामनिवास, सुनीता पत्नी सत्यवीर, निर्मला पत्नी चन्द्रभान को विक्रय कर चुकी है तथा अप्रार्थी सं. 1 के हिस्से में मात्र 0.08333 है भूमि ही शेष बची है जिस पर वह काबिज काश्त है। भोलाराम, गणेशा के गोद चला गया था इसलिये जिनका की भूमि में उक्त भोलाराम का कोई हिस्सा नहीं है। प्रार्थीया कमला, मेवा, मोहनी, चिडिया व विधा जिनका की वारिसान नहीं है। इसलिए स्व. जिनका की भूमि में उक्त प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है तथा स्व. भोलाराम का भी जिनका की भूमि में कोई हिस्सा नहीं है जो दर्ज है वह गलत दर्ज है। स्व. जिनका के अप्रार्थी सं. 1 व 2 ही विधिक वारिस है। प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 उनकी उतराधिकारीणी नहीं है। स्व. जिनका की मृत्यु आज से करीब 32 साल पूर्व हो चुकी थी। जिसकी मृत्यु पश्चात उसके हिस्से की समस्त भूमि का उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम नामान्तकरण सही दर्ज हुआ है। भोलाराम स्वं. गणेश के हिस्से पर ही काबिज काश्त रहा है व वर्तमान में उसके वारिसान भी उक्त स्वं. गणेशा के हिस्से पर ही काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम इन्तकाल सही दर्ज हुआ है। प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 का स्व.जिनका के हिस्से से कोई संबंध सरोकार नहीं है। हिन्दू उतराधिकार के अन्तर्गत 2005 में पुत्रियों को अधिकार मिला है जबकि [illegible] की मृत्यु 1990 में ही हो गई थी तथा उसी समय अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम [illegible]न्तक[illegible] दर्ज हो गया था। प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 स्व. जिनका की भूमि में कोई हक व अधि[illegible] रखती है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। कोई भी [illegible] भूमि का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होता है उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं किया [illegible] सकता है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

सम्पूर्ण भूमि को प्रार्थना पत्र की दायरी दिनांक 26.04.2022 से पूर्व ही दिनांक 06.04.2022 को विकय कर चुकी है जिसके नामान्तकरण को रूकवाने हेतु गलत तथ्यों के आधार पर तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 का उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी मर्जी से अपने सम्पूर्ण हिस्से को विकय किया है। अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थीया सं. 1 लगायत 5 की कभी कोई बातचीत नहीं हुई । प्रार्थीयागण ने मनगढत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा विकित भूमि पर उक्त केतनी सुनीता पत्नी रामनिवास, सुनीता पत्नी सत्यवीर, निर्मला पत्नी चन्द्रभान काबिज काश्त है। प्रार्थीयागण का उक्त भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थना पत्र दायरी से पूर्व ही अप्रार्थी सं. 2 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विकय कर चुकी है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र का कोई महत्व नहीं है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थीयागण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है तथा ना ही सुविधा का सन्तुलन उनके पक्ष में है। ये सब बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी सं. 2 द्वारा विकय की गई भूमि के केतनीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज होने योग्य है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 खाता संख्या नया 222 व खाता संख्या नया 223 ग्राम ताल पटवार मण्डल रसुलपुर तहसील खेतड़ी पेश की गई तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2022 की छाया प्रति पेश की।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात्, प्रार्थना पत्र एवं जबाब प्रार्थना पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 ग्राम ताल पटवार मण्डल रसुलपुर तहसील खेतड़ी के हाल खाता संख्या 222 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 985 रकबा 1.25 हेक्टेयर के अप्रार्थी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/15–1/15 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा हाल खाता संख्या 223 के खसरा नम्बर 1106, 982, 986, 987, 989 किता 5 कुल रकबा 11.76 हेक्टेयर की अप्रार्थीया संख्या 2 हिस्सा 1/15 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीया संख्या 2 द्वारा उपरोक्त दोनों खातों में दर्ज अपने 1/15–1/15 हिस्से का विक्रय पत्र दिनांक 06.04.2022 के मुताबिक सुनिता कुमारी पत्नी सत्यवीर जाति गूर्जर निवासी बांकोटी, सुनिता पत्नी रामनिवास जाति गूर्जर निवासी रामनगर व निर्मला पत्नी चन्द्रभान जाति गूर्जर निवासी रामनगर तहसील खेतड़ी को बेचान किया जा चुका है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त केतागण को हस्तगत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण/वादीगण ने मूल वाद संख्या 93/2022 उनवानी कमला आदि बनाम मनोहर आदि बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानते हुये दायर किया है। परन्तु प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वाद के साथ पैतृक भूमि को लेकर कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। वर्तमान जमबान्दी के मुताबिक अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को उसके भू–भाग के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। समस्त अंशधारी भूमि पर काबिज होते है। किसी सह खातेदार या खातेदार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह उसका विधिक अधिकार है। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर वकील प्रार्थीगण की बहस के अनुसार मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है। प्रकरण वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानकर दायर किया गया है परन्तु साक्ष्य के तौर पर पैतृक भूमि संबंधि कोई दस्तावेजी साक्ष्य [illegible] के साथ पेश नहीं किये गये है। मात्र कथन के आधार पर प्रार्थीगण का कब्जा मान लेना उपयुक्त [illegible] न्यायोचित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् से प्रार्थीगण का [illegible] दृष्टया कब्जा व टाईटल सावित नहीं है। उत्तराधिकार के मामले [illegible] प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी वर्तमान में किसी कदर प्राथमिक दृष्टया साबित नहीं होती है। अतः ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। विस्तृत निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:16:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner